पत्रांक– बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–07 / 2019 सो० 2382

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 24/12/2019

विषयः– **पुर्ननियोजित कार्यपालक सहायक की सेवा अवधि की गणना एवं उक्त के आधार पर मानदेय निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्यक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नियोजन मुक्त कार्यपालक सहायकों/ आई०टी० सहायकों (अनुशासनिक कारणों के आधार पर नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) के पुर्ननियोजन के संबंध में पत्राांक–909, दिनांक–02.07.2018 द्वारा नियोजन मुक्त कार्यपालक सहायकों/आई०टी० सहायकों का पुर्ननियोजन निदेश के आलोक मे दिशा निदेश निर्गत है।

विदित हो कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक का पुनर्निधारण किया गया है। कार्यपालक सहायकों का तीन वर्ग बनाया गया है तथा उनका अलग अलग मानदेय का निर्धारण किया गया है।

जिन कार्यपालक सहायकों की कार्यपालक सहायक के रूप में संविदा पर नियोजित होकर सफल तरीके से कार्य करने की अवधि दिनांक 01.07.2018 को 5 वर्ष या उससे अधिक है को कार्यपालक सहायक वर्ग– II में रखते हुये उनको कार्यपालक सहायक वर्ग– II का मानदेय दिये जाने का प्रावधान किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि दिनांक–01.07.2018 के उपरांत कार्यपालक सहायक वर्ग– I से कार्यपालक सहायक वर्ग– II मे उत्क्रमित करने हेतु सफल तरीके से 05 वर्ष की अवधि पूर्ण करने की गणना प्रत्येक वर्ष की 01ली जनवरी तथा 01ली जुलाई को आधार मानकर की जाएगी तथा उक्त तिथि को सफल तरीके से 5 वर्ष या अधिक की सेवा पूरा करने वाले कार्यपालक सहायकों को 'कार्यपालक सहायक वर्ग– II में उत्क्रमित किया जायेगा।

संविदा पर नियोजित आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक तथा कार्यपालक सहायक द्वारा सफल तरीके से एक वर्ष पुरा करने की अवधि की गणना करने के क्रम में अनुमान्य अवकाश, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाश, रविवारीय एवं शनिवारीय (जहाँ लागू हो) अवकाश से अतिरिक्त अनुपस्थित अवधि जिसका मानदेय भुगतेय नहीं है, की गणना सफल तरीके से कार्य करने की अवधि में नहीं की जानी है।

पुर्ननियोजित कार्यपालक सहायकों के मामले में एक से अधिक कार्यालयों/ विभागों में कार्य की अवधि की गणना करनी होगी तथा सफल तरीके से 01 वर्ष पूर्ण करने हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार गणना करने के क्रम में यह भी ध्यान में रखा जाना है कि कार्यमुक्त होने के उपरांत पुर्ननियोजन के बीच की अनियोजित अवधि की गणना सफल तरीके से पूर्ण किये गये कार्यकाल अंतर्गत नहीं की जायेगी।

उपर्युक्त वर्णित के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

24-12-19

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

615D:\PREM Office\AO.docx